Witness No. **.....02.....** for –**.....अभियोजन साक्ष्य.....** ,
Deposition taken the **30 / 01 / 2023** ,day of -**.....** witness's apparent age **–22 वर्ष**
States affirmation - **.....शपथ.....**, my name is **–.....चितेश्वर साहू.....**
son of – **.....ईश्वर लाल साहू.....**occupation**–.....ड्रायवरी.**
address – **ग्राम– भालूकोन्हा, थाना– अर्जुन्दा, जिला– बालोद छ0ग0।**

मुख्य परीक्षण प्रारंभ समयः– 4:00 बजे से।

मुख्य परीक्षण राज्य द्वारा श्री प्रशांत पारख, लोक अभियोजक

1. मैं न्यायालय उपस्थित आरोपी को जानता हूं, उसका नाम विकास यादव है। आरोपी भी ग्राम भालूकोन्हा का निवासी है। आरोपी मेरे गांव का है एवं दोस्ती का संबंध है इसलिए उसे जानता हूं।

2. मैं दसवीं कक्षा तक पढ़ा हूं। घटना वर्ष 2022 की है। मैं ट्रक चलाने का काम करता हूं। आरोपी किसी दूसरे ट्रक में हेल्परी का काम करता था। मैं मृतिका संध्या राजपूत को नहीं जानता हूं। गवाह कहता है कि जब दो–तीन दिन बाद जब मैं अपने गांव भालूकोन्हा लौटा तब मुझे ज्ञात हुआ कि संध्या राजपूत नामक महिला की हत्या हो गई है। मृतिका की मृत्यु कैसे हुई इसकी मुझे जानकारी नहीं है। मुझे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

3. घटना के संबंध में पुलिस वालो ने मुझे फोन करके थाना बुलवाये थे तथा घटना के संबंध में जानकारी मांगे थे तब मैं पुलिस वालो को घटना के संबंध में जानकारी दिया था। पुलिस को मैं जानकारी दिया था कि मैं धमतरी में ट्रक का टायर फटने के कारण धमतरी में रूका था, सबेरे ट्रक मालिक को फोन करने पर दूसरे ट्रक से दूसरे ट्रक ड्रायवर के साथ टायर भेजा था तब मैं गाड़ी में भरी सीमेंट को छोड़ने कोरर

चला गया था जहां कोरर में सीमेंट खाली नहीं होने के कारण दूसरे दिन उसे पुरी नाम की जगह में खाली किया था।

टीप– लोक अभियोजक ने अपने गवाह से प्रतिपरीक्षण स्वरूप के प्रश्न पूछने की अनुमति चाही। सुना गया। अभिलेख देखा गया तत्पश्चात् भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 154 के अंतर्गत प्रतिपरीक्षण स्वरूप के प्रश्न करने अनुमति दी गई।

4. यह कहना सही है कि दिनांक 28.07.2022 को मैं धमतरी में था। यह कहना सही है कि दिनांक 28.07.2022 को मैं भेजे गये टायर को गाड़ी में लगाने के पश्चात् कोरर चला गया था। यह कहना सही है कि कोरर में रात्रि में मैं खाना खाकर गाड़ी में सो गया था। यह कहना गलत है कि, दिनांक 29.07.2022 को रात्रि 1 बजे आरोपी का मेरे मोबाईल में फोन आया था। यह कहना गलत है कि, आरोपी मुझसे पूछा था कि मैं कहां हूं। यह कहना गलत है कि, आरोपी के पूछने पर मैं उसे बताया था कि कोरर में हूं। यह कहना गलत है कि, आरोपी उस वक्त फोन पर घबराया था। स्वतः कहता है कि आरोपी का कोई फोन ही नहीं आया था।

5. यह कहना गलत है कि, आरोपी ने मुझसे यह कहा था कि उसने एक महिला की हत्या कर दिया है। यह कहना गलत है कि, उस वक्त आरोपी शराब पीया हुआ था। स्वतः कहता है कि मैनें कभी आरोपी को शराब पीते हुए नहीं देखा है। यह कहना गलत है कि, आरोपी मुझसे यह पूछ रहा था कि वह क्या करे तब मैं आरोपी को कहा था कि मैं क्या बताउं, तुम मर्डर किये हो तुम जानो। स्वतः कहता है कि ऐसी कोई

बात ही नहीं हुई थी। यह कहना गलत है कि, जिस महिला को मारने की बात आरोपी ने मुझे फोन पर बताया था वह भालूकोन्हा की संध्या राजपूत थी।

6. यह कहना गलत है कि, मैं पुलिस को **प्रदर्श पी 06** के अ से अ का यह भाग ***"विकास यादव ही संध्या यादव.....हत्या किया है"*** बताया था। उक्त बाते पुलिस बयान प्रदर्श पी 06 में कैसे लिखी गई है इसका कारण मैं नहीं बता सकता हूं। यह कहना गलत है कि, आरोपी से मेरी जान–पहचान है इसलिए मैं आज सही बात नहीं बता रहा हूं।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री खगेश्वर नंद अधिवक्ता वास्ते आरोपी

7. यह कहना गलत है कि, मैं सिर्फ धमतरी एवं बलौदा बाजार के रास्ते में ट्रक चलाता हूं। स्वतः कहता है कि जिधर माल लेकर जाना होता है उधर चलाता हूं। यह कहना सही है कि आरोपी अक्सर भानूप्रतापपुर के तरफ हेल्परी में जाता है। यह कहना सही है कि आरोपी और मेरा कभी–कभी मिलना जुलना होता है। यह कहना सही है कि आरोपी सरल स्वभाव का लड़का है।

प्रतिपरीक्षण समाप्ति समयः– 5:00 बजे तक।

वाचित शुद्ध स्वीकृत ।

सही/–
(डॉ. प्रज्ञा पचौरी)
सत्र न्यायाधीश,बालोद(छ0ग0)

मेरे निर्देशन पर टंकित ।

सही/–
(डॉ. प्रज्ञा पचौरी)
सत्र न्यायाधीश,बालोद(छ0ग0)